

भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय  
कर्मयोगी भवन, सेक्टर-10A, चतुर्थ माला,  
ब्लॉक-2, सी विंग, गांधीनगर  
ई-मेल: gandhinagar.ibm@gmail.com



GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF MINES  
INDIAN BUREAU OF MINES  
Office of Regional Controller of Mines  
Karmayogi Bhavan, 4<sup>th</sup> Floor, Block-2, Sector-10A,  
Gandhinagar-382010, Gujarat

मिसिल सं. GUJ/PORB/LST-183

दिनांक: 05.03.19

प्रेषित : **M/s. Tata Chemicals Limited**  
Ranavav Quarries  
P.O.-Ranavav, Taluka-Ranavav,  
Dist-Porbandar, Gujarat-360550.  
Email: [cdwivedi@tatachemicals.com](mailto:cdwivedi@tatachemicals.com)

विषय : गुजरात राज्य के Porbandar जिले के Ranavav तालुका में स्थित आपकी Aniyali Limestone Mine, सर्वे नं-[21/P] क्षेत्रफल-15.99 में खनिज संरक्षण व विकास नियमावली 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन |

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 30/01/2019 को आपकी उपरोक्त खान के निरीक्षण के दौरान खनिज संरक्षण एवं विकास नियमवाली 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया।

नियम स.	पाए गए उल्लंघन की विस्तृत प्रकृति
Rule 33	<b><i>The holder of a mining lease shall, on or before the 30th day of June every year submit a digital copy along with print copy of the Surface Geological plans and Sections maintained under Rule 32 of MCDR,2017</i></b> In your case, you have not submitted the aforesaid plans & sections maintained under the Rule 32 of MCDR, 2017 to this office.
Rule 54(a)	<b><i>The holder of the mining lease or a holder of prospecting license or prospecting cum mining lease shall maintain details of contribution made to District Mineral Foundation and National Mineral Exploration Trust</i></b> But, in your case, it is observed during inspection that you have not maintained relevant documents as required under prescribed rules.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है की उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण व विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है |
03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का तत्काल सुधार कर इसकी सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से 45 (पैंतालीस) दिनों के अंदर इस कार्यालय को भेजे

भवदीय,

(संजय गिरहे)  
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी  
भारतीय खान ब्यूरो